भारतवर्ष

फार्मेसी, भारतीय चिकित्सा परिषद्,

उत्तर प्रदेश राज्यशाखा

संख्या:- फार्मेसीपरिषद्/ राज्यशाखा/2021/2022/ राज्यशाखा/ दिनांक: 09/08/2021

(कार्यालय आदेश)

प्रतिष्ठित भारतीय औषधीयी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली-भारतीय कार्यालय द्वारा पुनीक्षित, नई दिल्ली द्वारा सत्र 2021-22 हेतु विभागीय औषधि औषधीयी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदित पत्रक किए जाने के उपरांत फार्मेसीय शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता सम्बन्धित विवरण पत्रक किए जाने हेतु दिनांक- 15/07/2021 को परिषद् कार्यालय को सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ नवीनीकरण पत्रक संबंधित शर्तों सहित अनुमोदन दिया गया। सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार पत्रक किए जाने का विवरण निम्न प्रकार है।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश संचालन को फार्मेसीय शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु विभागीय शर्तों के प्रतिरोध नवीनीकरण एवं नयी प्रविष्ट संबंध संचालन हेतु सम्बद्धता विस्तार पत्रक की आपत्ति है -

संस्था का पूरा पता एवं नाम : ASTH-MAA SHARDA COLLEGE OF PHARMACY, SHAHBHUPUR, GAHAJI , AZAMGARH.			
क्रमांक	**पाठ्यक्रम का नाम**	**पाठ्यक्रम/प्रवेशक्षमता परिवर्तन/नवीन पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता**	**परिषद् द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता**
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था पाठ्यक्रम/प्रवेशक्षमता/पाठ्यक्रम/प्रवेशक्षमता नवीनीकरण/नवीन पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता हेतु संबंधित शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश पैरा मेडिकेयर शिक्षा परिषद् नियम 1983 तथा फार्मेसीय शिक्षा परिषद् विनियमावली 1992, मेडिकल विनियमावली 2019 तथा प्रदेश विनियम नियमों एवं प्रावधानों का प्रयोगशाला करेगी तथा मूलभूत विनियम समितियों मूलभूत विनियमित मूलभूत सीमा समीक्षा इकाईयां पाठ्यक्रमवार हेतु रू0 30/-(रु0 तीस) परिषद्, दो समीक्षा समितियों पाठ्यक्रमवार हेतु रू0 -40000/-(रु0- चालीस) परिषद् एवं तथा तथा दो समीक्षा पाठ्यक्रमवार दूसरे समीक्षा समितियों पाठ्यक्रमवार के प्रतिनिधित्व हेतु रू0- 20000/-(रु0- बीस) परिषद् मूलभूत हैं पाठ्यक्रम पाठ्यक्रमवार के साथ विभाग प्रवेशक्षमता उपस्थिति के प्रतिनिधित्व पाठ्यक्रमवारों के मूलभूत के सम्बद्धता में संस्था संस्था एवं पाठ्यक्रम मूलभूत विनियम विभाग जाने वाले पाठ्यक्रमवार पाठ्यक्रमवारों मूलभूत, और पाठ्यक्रम